

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कार्यालय सहायक कलेक्टर, उदयपुर, विपक्षी उदयपुर उदर
 मुकदमा नं. 188 एचएच पत्रावली संख्या 27/11/25 सन 2025

क कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

10/11/25
 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई।
 प्रति./विपक्षी/रेस्पों. को जरिये सम्मन/
 नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली का
 तली दि. 27/11/25 को पेश हो।

m
 सहायक कलेक्टर
 (SDO) मावली

27/11/25
 पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी उप.।
 प्र. 1803 के सम्मन ^{अनु} ~~बाद~~ तामील प्राप्त।
 अधि. वादी उप. पेश करे। प्र. 1803 के सम्मन
 बाद तामील प्राप्त निरन्तर आवाज रितवा
 गई। अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित
 रहने पर प्र. 1803 के विरुद्ध एक तरफा कार्य
 वादी अदालत में लाई जाती है। पत्रावली वास्त
 तलब नं. 1803 दिनांक 23/12/25 में पेश हो।

~~27/11/25~~
~~अधि. वादी उप.~~
~~प्र. 1803 के सम्मन~~
~~बाद तामील प्राप्त~~

28/12
 पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी पत्रावली
 उप.। तहसीलदार से राजस्व/मौका/
 पी.डी. पालना रिपोर्ट अप्राप्त।
 पत्रावली वास्तो पेश होने रिपोर्ट दिनांक
 को पेश हो।

23/12/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पंथकरण उपा.
अनुपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
व्यवहार करने/शोक समा कर न्यायिक कार्य
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
के क्रम में दिनांक 27/11/25 को पेश हो।
81°

27/11/26
बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. त.सि. न. 1/20
के लिये मौका चाहते है। अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 23/12/26
को पेश हो।
m
(SDO) मावली

23/12/26
बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. त.सि. न. 1/20
के लिये मौका चाहते है। अतः
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 24/1/26
को पेश हो।
m
(SDO) मावली

24/1/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं।
स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक
अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय
स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का
वाद अदम बाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रैफर
नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली